राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.22(4)न्याय/2017 जयपुर, दिनांकः 6.11.18

:: आज्ञा ::

राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के नियमों के अन्तर्गत वरिष्ठ विधि अधिकारी के वर्ष 2017–18 के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 05.01.2018 को आयोजित की गई। कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद का 5 वर्ष का अनुभव वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित है। सर्व श्री धर्मपाल शर्मा, सुमित शर्मा, शैलेन्द्र रंगा, श्रीमती साधना मिश्रा, श्रीमती रूचि अग्रवाल, श्रीमती वैशाली पाठक व श्रीमती पूजा छीम्पा को कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद का 5 वर्ष का अनुभव पूर्ण नहीं होने के कारण इनको पदोन्नति नहीं दी गई। उक्त सातों कनिष्ठ विधि अधिकारियों का अनुभव उनसे कनिष्ठ राजसेवकों के समान नोशनल माने जाने के लिए कार्मिक (क–2) विभाग ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। अतः वर्ष 2017–18 के लिए अनुभव अपने से कनिष्ठ राजसेवकों के समान माने जाने के कारण वर्ष 2017–18 की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का दिनांक 04.10.2018 को पुनरावलोकन किया गया।

पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंसा के अनुसार निम्नलिखित कनिष्ठ विधि अधिकारी का चयन वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर करने के फलस्वरूप इन्हें वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर वेतन श्रृंखला PB No.-2 (9300-34800) GP No.-14 (4800) L-12 में एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है:–

क्र.स.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री / श्रीमती)	*रिक्ति की तिथि*
1.	धर्मपाल शर्मा	01.04.2017
2.	सुमित शर्मा	01.04.2017
3.	शैलेन्द्र रंगा	01.04.2017
4.	साधना मिश्रा	01.04.2017
5.	रूची अग्रवाल	01.04.2017
6.	वैशाली पाठक	01.04.2017
7.	पूजा छीम्पा	01.04.2017

उक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता वर्ष 2017–18 में चयनित कार्मिकों के मध्य निम्नानुसार होगी :–

सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती धर्मपाल शर्मा एवं सुमित शर्मा की वरिष्ठता भारती शर्मा के नीचे, शैलेन्द्र रंगा की वरिष्ठता रेखा चौधरी के नीचे, साधना मिश्रा की वरिष्ठता सुचित्रा चौधरी के नीचे, रूची अग्रवाल की वरिष्ठता शबाना कुरेशी के नीचे, वैशाली पाठक की वरिष्ठता ताराचन्द खेतावत के नीचे एवं पूजा छीम्पा की वरिष्ठता मनोज कुमार बंशीवाल के नीचे होगी।

उक्त पदोन्नत अधिकारियों के पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जाएंगे।

यह आदेश चुनाव विभाग के पत्र क्रमांक प.3(1)(15)।/निर्वा./2018/8647 दिनांक 27.10.2018 व पत्र क्रमांक प. 3(1)(15)।/निर्वा./2018/9145 दिनांक 02.11.2018 से प्राप्त अनुमति के आधार पर जारी किये जाते है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

6/11/18

(महावीर प्रसाद शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय विधि राज्य मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. संबंधित अधिकारी/विभाग।
6. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

6/11/18

(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव